

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

पत्रांक- का0अ0-अरेराज-M/ 974

/दिनांक 30.5.2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज,

सेवा में,

संवेदक

श्री. योगेश्वर नाथ बिपार्थ

विषय :- MMGSY(डि.सी.) योजनान्तर्गत समाहारा से इमिलिपा लेखा
पथ का अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- SBD(PMGSY/MMGSY) कडिका-52/3 तथा MBD के कडिका-58 तथा 59

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल अरेराज अन्तर्गत आपको आवंटित पथ/पूल समाहारा से इमिलिपा लेखा का निरीक्षण कर स्थल के मांग के अनुरूप अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर हर हाल में शुरू करना सुनिश्चित करेंगे इस संदर्भ में पूर्व में भी मौखिक एवं दुरभाष पर अनुरक्षण कार्य ससमय करने हेतु निदेश दिया जाता रहा परन्तु आपके द्वारा वार्षिक अनुरक्षण कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके स्वेच्छाचारिता के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त राशि उपलब्ध कराने के बावजूद भी आम अवाम को कष्ट उठाना पर रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य शुरू कराते हुए आप अपना स्पष्टीकरण अघोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे की अनेको बार मौखिक एवं दुरभाष पर निदेश के बावजूद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों न किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में आपके एकरानामा का विखंडित करते हुए आपके निबंधन को डिवार/काली सुची में डालने की कार्रवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशी जब्त कर अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा

इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।

दिनांक

ज्ञापाक 974

प्रतिलिपी:- सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज

पत्रांक- का0अ0-अरेराज-M / 973

/दिनांक 30.5.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल अरेराज,

सेवा में,

संवेदक
सोमेश्वर नाथ त्रिपाठी
ग्राम इंजिरा, संग्रामपुर

विषय :- 111157/55 योजनान्तर्गत मिथुन खाह के रोला से तेलिया
रोला पथ का अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- SBD(PMGSY/MMGSY) कडिका-52/3 तथा MBD के कडिका-58 तथा 59

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज अन्तर्गत आपको आवंटित पथ/पूल मिथुन खाह के रोला से तेलिया रोला का निरीक्षण कर स्थल के मांग के अनुरूप अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर हर हाल में शुरू करना सुनिश्चित करेंगे इस संदर्भ में पूर्व में भी मौखिक एवं दुरभाष पर अनुरक्षण कार्य ससमय करने हेतु निदेश दिया जाता रहा परन्तु आपके द्वारा वार्षिक अनुरक्षण कार्य में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके स्वेच्छाचारिता के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त राशि उपलब्ध कराने के बावजूद भी आम अवाम को कष्ट उठाना पर रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य शुरू कराते हुए आप अपना स्पष्टीकरण अघोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे की अनेको बार मौखिक एवं दुरभाष पर निदेश के बावजूद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों न किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में आपके एकरानामा का विखंडित करते हुए आपके निबंधन को डिवार/काली सुची में डालने की कार्रवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशी जब्त कर अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल-अरेराज।

ज्ञापाक 973

दिनांक 30.5.2021

प्रतिलिपी:- सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल-अरेराज।